

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

Tr. No. : 31 / 2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

पक्षकार : रविकुमार देशमुख व अन्य विरुद्ध लैण्डमार्क एसोसिएट्स

प्रकरण क्र. EXE-M-PRO-2020-01075

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
09-02-2023	<p>प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदक सहित श्री तिवारी अधि। अनावेदक अनु। अनावेदक अधि. को बार बार फोन किया गया किन्तु उन्होंने फोन नहीं उठाया। प्रकरण थोड़ी देर बाद रखा जावे।</p> <p>अनावेदक को फोन से संपर्क किया गया क्योंकि प्रकरण आज उनकी उप. हेतु नियत था। अनावेदक ने फोन पर बताया कि वे जगदलपुर में हैं और स्मार्ट फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस कारण में वी.सी. ज्वॉइन नहीं कर पायेंगे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी</p> <p>पश्चात्</p> <p>आवेदक सहित श्री तिवारी अधि। अनावेदक द्वारा श्री पाण्डेय अधि। अनावेदक अधि. से पूछा गया कि उनका पक्षकार वी.सी. पर उप. नहीं हैं इस पर अधि. ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आवेदक अधि. ने निवेदन किया कि अनावेदक को माननीय रेरा अथॉरिटी के आदेश दिनांक 23/06/2021 का पालन किये जाने हेतु पर्याप्त, उचित एवं सद्भाविक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं किन्तु अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक माननीय रेरा अथारिटी का संपूर्ण पालन नहीं किया है। अतः अनावेदक का गिरफ्तारी वारंट निकाला जावे।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि अनावेदक ने आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 51 सी.पी.सी. के जवाब (शपथ पत्र समर्थित) में यह निवेदन किया था कि वह माननीय रेरा अथॉरिटी द्वारा आदेशित संपूर्ण राशि को तीन किस्तों में अदा कर देगा। अनावेदक द्वारा प्रथम किस्त जो 30 जून 2022 को देय थी उसे आवेदक को अगस्त 2022 में प्रदान की। द्वितीय किस्त जो 30 जुलाई 2022 को देय थी उसे अनावेदक द्वारा आवेदक को जनवरी 2023 में प्रदान की तथा शेष देय राशि 1,91,809/- का भुगतान अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

Tr. No. : 31 / 2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

पक्षकार : रविकुमार देशमुख व अन्य विरुद्ध लैण्डमार्क एसोसिएट्स

प्रकरण क्र. EXE-M-PRO-2020-01075

अनावेदक को दिनांक 29/11/2022 को प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 51 सी.पी.सी. के अंतर्गत उपस्थिति बाबत शो कॉज नोटिस जारी किया गया किन्तु अनावेदक द्वारा नोटिस के पालन में पेशी दिनांक 29/12/2022, 30/01/2023 तथा 19/01/2023 को उपस्थित नहीं हुए। पूर्व पेशी पर भी उन्हें अधि. सहित वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होने को निर्देश किया गया था किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अनावेदक के उक्त आचरण से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक की मंशा इस फोरम के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना करना है तथा प्रकरण में विलंब कारित कर प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है, जिसकी अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

चूंकि अनावेदक जारी शो कॉज नोटिस के पालन में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी दशा में आदेश 21 नियम 38 सी.पी.सी. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पूर्व आवेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा आदेश के निष्पादन में अनावेदक को सिविल कारागार में 15 दिवस के अवधि तक के लिए निरुद्ध किये जाने हेतु जेल मैनुअल अनुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) व अनावेदक की गिरफ्तारी से लेकर इस फोरम के समक्ष लाये जा सकने तक तथा इस फोरम से सिविल कारागार पहुंचा सकने तक के लिए देय निर्वाह व प्रवहन के व्यय को 15 दिवस के भीतर प्राधिकरण के खाते में जमा किया जावे तो आदेश के निष्पादन में अनावेदक का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु 28/02/2023

सही / -
(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी